



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222162
CG-DL-E-01102020-222162

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3038]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942

No. 3038]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3408(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-221(नया रा.रा. 30) के 2/4 lane ROB Level Crossing no. KK-89 on केशलूर to जगदलपुर के निर्माण कार्य प्रबंध और प्रचालन के लिए अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में 2/4-lane ROB L/C No. KK-89 केशलूर to जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-221 (New NH-30) पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तोकापाल जिला- बस्तर(छ.ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी. 14.4 से 15.6 तक	छत्तीसगढ़	बस्तर	तोकापाल	1 केशलूर

[फा. सं. 122545/3a]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3408(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said

Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Construction of 2/4 lane ROB on Level Crossing no. KK-89 on Keshloor to Jagdalpur of NH-221(New NH-30) in the State of CHHATTISGARH.

SCHEDULE

Land acquisition of 2/4-lane ROB on L/C No. KK-89 on Keshloor to Jagdalpur on National Highway No-221 (New NH-30) in the State of CHHATTISGARH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Land Aquisition Officer and SDO (Revenue)Tokapal District Bastar(C.G)	14.4KM To 15.6KM	CHHATTISGARH	BASTAR	Tokapal	1 Keshloor

[F. No. 122545/3a]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.